



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07092026-276041
CG-DL-E-07092026-276041

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 707]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 3, 2026/भाद्र 12, 1948

No. 707]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 3, 2026/BHADRA 12, 1948

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2026

सा.का.नि.775(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 और अनुच्छेद 148 के खंड (5) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात्, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 में आगे और संशोधन करने के लिए, एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-

- (1) इन नियमों का नाम केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) संशोधन नियम, 2026 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 में, नियम 37 के उप-नियम (7) के नीचे निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

“परंतु इस उप-नियम की कोई बात पूर्ववर्ती आयुध निर्माणी बोर्ड के ऐसे कर्मचारियों (आयुध निर्माणी विद्यालयों और आयुध निर्माणी अस्पतालों के कर्मचारियों से भिन्न) पर लागू नहीं होगी, जो डीपीएसयू में आमेसन का विकल्प नहीं देते हैं; ऐसे कर्मचारी, इसके उत्पादन इकाइयों के संपरिवर्तन से सृजित डीपीएसयू में, विदेश सेवा की शर्तों पर, बिना किसी प्रतिनियुक्ति भत्ते के, सेवानिवृत्ति तक मानित प्रतिनियुक्ति पर बने रहेंगे।”

[फ़ा. सं. 4/27/2026-पीएंडपीडब्ल्यू(डी)]

ध्रुवज्योति सेनगुप्ता, संयुक्त सचिव

टिप्पणः— मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 868(अ), तारीख 20 दिसंबर, 2021 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department Of Pension And Pensioners' Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd September, 2026

G.S.R. 775(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution and clause (5) of article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor-General of India in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021, namely: -

1. Short title and commencement:-

(1) These rules may be called the Central Civil Services (Pension) Amendment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021, the following proviso shall be inserted below sub-rule (7) of Rule 37, namely: -

“Provided that nothing in this sub-rule shall be applicable to the employees (other than OF Schools and OF Hospitals) of erstwhile Ordnance Factory Board who do not opt for absorption in DPSUs, such employees shall continue to be on deemed deputation till retirement to the DPSUs, created from the conversion of its production units, on terms of foreign service without any deputation allowance.”

[File No. 4/27/2026-P&PW(D)]

DHRUBAJYOTI SENGUPTA, Jt, Secy.

Note: - The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 868(E), dated the 20th December, 2021.